

रिपोर्ट पटवारी हेलम्/आइओएल03आर0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 श्रीमान श्री. प्रार्थी का पत्नी स्त्रीवत् शपथ पत्र, आधार कार्ड, परिवार रेशन कार्ड, जाति-
 उपाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम राधाकृष्ण कुं महराम ले राधारी कुं मालाराम
 किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी (23/11/2021)

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम सुद्ध किया जाने की अधिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त किता जाग उचित है।

23/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
 उदयपुरवाटी (गुढागौडजी)

152/23/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधुनू, (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (गु0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुद्ध किया जाकर तहसीलदार (गु0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	पौरु	2075-78	545 546 547	राधाकृष्ण कुं महराम	राधारी कुं मालाराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :-

क्रमांक :- राजस्व/2020/1191-92

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (गु0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्तु मालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

